न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र :—133/2022

कुलजीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह जाति जटसिख साकिन जी—118 समतानगर वार्ड नं. 14 अरमूल डेयरी के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. करणवीर सिंह पुत्र अरविन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एलबीएम हाल महाजन डेरे के पास पुरानी गिनाणी वार्ड नं.52 बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान।
2. तजविन्दर कौर पत्नी अरविन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एलबीएम हाल महाजन डेरे के पास पुरानी गिनाणी वार्ड नं.52 बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगराज सिंह भारी — प्रार्थी
2. श्री हरजिन्द्र सिह रमाणा — अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 3

—:: निर्णय :—

दिनांक:— 09/04/2025

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प.नं. 46/360 (22) किला नं. 1 ता 3, 8, 9, 13, 18 की 1.771 हैक. कमांड खातेदारी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज भूमि सयुक्त खाता की भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है । उक्त सयुक्त खाता की भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य रोबरू गवाहान दिनांक 08.03.2009 को घरू बंटवारा हो चुका है। घरू बंटवारा में प्रार्थी को निम्नाकिंत कृषि भूमि प्राप्त हुई।प्रार्थी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमितहसील पीलीबंगा के चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प. नं. 46/360 (22) किला नं. 3/.126 (बजानिब पूर्व दिशा में किला नं. 4 के चिपते), 8, 13, 18 की 0.885 हैक. कमांड खातेदारी।

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. प्राप्त भूमितहसील पीलीबंगा के चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प.नं. 46/360 (22) किला नं. 1, 2, 31.127 (बजानिब पश्चिम दिशा में किला नं. 2 के चिपते), 9 की 0.886 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:24:32 IST
Reason: SelfAttested

इसी अनुसार प्रार्थी अपनी [illegible] शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है पर[illegible] पक्षकारान के मध्य आये दिन सींव बट व रकमराज को [illegible] है इसलिये प्रार्थी अप[illegible] विभाजन करवाने का अधिकारी है।

यह कि मुताबिक घरू बंटवारा दिनांक 08.03.2009 के अनुसार प्रार्थी को 0.063 हैक. कृषि भूमि कम दी गई थी क्योंकि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 जो कि प्रार्थी के भाई की पत्नी व पुत्र है व प्रार्थी के भाई के फौत होने के पश्चात मात्र स्नेहवंश 0.063 हैक. कृषि भूमि राजीनामा में रोबरू गवाहान प्रार्थी को कम दी गई परन्तु अब प्रार्थी का अपनी मुताबिक जमाबंदी 1/2

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हिस्सा पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है। मुताबिक राजीनामा किला नं. 3 में से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को प्रार्थी द्वारा पानी सिचांई हेतू आड़ (खाला) दे रखा है। प्रार्थी किला नं. 3 जो कि प्रार्थी का बजानिब पूर्व दिशा किला नं. 4 के चिपते ही कब्जा है व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का किला नं. 3 बजानिब पश्चिम दिशा में किला नं. 2 के चिपते है कि सींव को आये दिन मिटाकर किला नं. 3 पर अपना कब्जा साबित करना चाहते है। किला नं. 3 रोबरू गवाहान प्रार्थी को 1/2 हिस्सा व किला नं. 3 का शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को प्राप्त हुआ था। अप्रार्थीगण जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है। जो उक्त सयुक्त खाता की कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी में से अच्छी कृषि भूमि को अजनबी व्यक्तियों को रहन बैय करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितयो के दृष्टिगण प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नकरे व प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प.नं. 46/360 (22) किला नं. 1 ता 3, 8, 9, 13, 18 की 1.771 हैक्. कमांड खातेदारी कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षिय बहस सुनी गई। नायब तहसीलदार पीलीबंगा को प्रकरा में मौका कमि नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई बाद रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 16.06. 2022 को रिपोर्ट के आधार पर व प्रस्तुत शपथ पत्र पर वि वास करते हुए प्र नगत रकबा पर अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प.नं. 46/360 (22) किला नं. 1 ता 3, 8, 9, 13, 18 की 1.771 हैक्. कमांड खातेदारी कृषि भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1, 2 की और निम्न प्रकार से है–कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन कतई मनगढ़त मिथ्या व असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त भूमि का खाता अभी सांझा है जिसका पक्षकारान के मध्य कभी कोई घरू बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थी ने अच्छी में से अच्छी कृषि भूमि अपने कब्जा काश्त में दर्शायी है जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। खाता साझा होने के कारण प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक ईन्च पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी किसी प्रकार का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथ[illegible] व मनगढ़त होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि [illegible] किसी [illegible] से रहन बैय नही करना चाहते है ना ही मिन अप्रार्थीगण ने [illegible] तथ्यो 2 को रंगत देने के लिये प्रार्थी द्वारा झूठे व मिथ[illegible] किये है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है व न [illegible] प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा के तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:24:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कथन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प.नं. 46/360 (22) किला नं. 1 ता 3, 8, 9, 13, 18 की 1.771 हैक. कमांड खातेदारी में अप्रार्थी सं. 1, 2 का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 8 में वर्णित कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से हैअप्रार्थीगण सं. 1, 2 को प्राप्त भूमि–चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प.नं. 46/360 (22) किला नं. 31.126, 87.253, 9/.063, 13/.253, 18/253 की 0.948 हैक. कमांड खातेदारी। मिन अप्रार्थीगण को भूमि अधिक आई है क्योंकि हमनें अपनी भूमि से प्रार्थी को सिचाई हेतू खाला दे रखा है इसलिये भूमि कम ज्यादा प्राप्त हुई है।

उक्तानुसार मिन अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है व इसी अनुसार अपना खाता तकसीम करवाने व रकम राज अलग कायम करवाने के अधिकारी है व भूमि में एक दूसरे के आने जाने के लिये रास्ता देने के लिये भी बाध्य है।अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करनिवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है कि –यह कि अतिरिक्त कथन की दफा 6 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं.1, 2 द्वारा अपने कब्जाकाश्त में चक 2 एलबीएम के खाता सं. 8/5 के प.नं. 46/360 (22) किला नं. 3/.126, 87.253, 91.063, 13/.253, 18/.253 की 0.948 हैक. कमांड खातेदारी भूमि दर्शायी है जबकि किला नं. 9/. 063 हैक. भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 1, 2 के पास नही है जो मिन प्रार्थी के कब्जा काश्त में है शेष भूमि अप्रार्थी सं. 1, 2 के कब्जा काश्त में है। सिचांई खाला हेतू किसी प्रकार की कोई भूमि अप्रार्थीगण को नही दी गई है।

अतः जबाब अतिरिक्त कथन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त कथन को मय खर्चा खारिज फरमाया जाकरमिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा स्थगन आदेश कन्फर्म किया जावे।

स्टेट जवाब प्रस्तुत हुआ शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब सरकार रास्ता खाला की सुविधा पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। वाद ग्रस्त रकबा कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है चुंकि मूल वाद खाता विभाजन का है इसलिए हकों के संबंध में उभय पक्ष मूल वाद निर्णित होने तक अस्थाई निशेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है दिनांक 16.06. 2022 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 16.06.2022 को जारी स्थगन आदे [illegible] ताफैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद [illegible] दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:24:32 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा